तत्काल / महत्वपूर्ण

संख्या- 1274 /60-1-10-1/13(71)/06

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2011

महिला एवं बाल विकास अनुभाग- 1

विषय- समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट चिल्ड्रेन को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से खुले आश्रय गृह के प्रस्ताव का चयन कर उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या- सी- 1711/निदे0म0क0/प्रोबे0 /2010-11 दिनांक 28 नवम्बर, 2010, पत्र संख्या- सी- 1835/निदे0म0क0/प्रोबे0/2010-11, दिनांक 17 जनवरी, 2011 तथा शासन के पत्र संख्या- 235/60-10-1/13(71)/06, दिनांक 01 फरवरी, 2011 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संदर्भित याचिका में पारित आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के 06 मेट्रोपोलिटन शहरों लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी व मेरठ में 25 बच्चों की क्षमता के दो-दो खुले आश्रय गृह तथा जनपद अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं मुरादाबाद जनपदों में भी एक-एक खुले आश्रय गृह खोले जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या- 839/60-1-10-1/13(71)/06 दिनांक 14 मार्च, 2011 द्वारा जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं मुरादाबाद में खुले आश्रय गृह हेतु संस्थाओं का चयन निर्धारित प्रकिया के अनुसार करते हुए प्रस्ताव दिनांक 20-03-2011 तक निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने तथा शेष अन्य जनपदों में आवश्यकता के आधार पर 25 बच्चों की क्षमता वाले खुले आश्रय गृह खोले जाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव प्राप्त कर निर्धारित प्रकिया के अनुसार चयनित करते हुए प्रेषित किए जाने की अपेक्षा की गयी थी।

3- उपरोक्त के कम में शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि शासन द्वारा निर्धारित की गयी प्रकिया के अनुसार सक्षम संस्थाओं के चयन की कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्ताव, निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेंगे, परन्तु खुले आश्रय गृहों का संचालन प्रारम्भ नहीं किया जाएगा। खुले आश्रय गृह का धनावंटन प्राप्त होने के उपरान्त ही संचालन प्रारम्भ करने हेतु पुनः निर्देश निर्गत किए जायेंगे।

भवदीय,

( बलविन्दर कुमार )
प्रमुख सचिव।

संख्या-1274(1)/60-1-10-1/13(71)/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

( भवनाथ )
विशेष सचिव।